जिला एवं सत्र न्यायालय, बांदा।

दिनांक 10.11.2020

नीलामी की सूचना

जनपद न्यायालय बांदा की निस्तारण समिति द्वारा शासनादेश सं0 1393/78–2–2011–26 आई0टी0/ 2004 दिनांक 20.09.2011 के अनुसार 6 वर्ष से अधिक पुराने कम्प्यूटर हार्डवेयर व उनके सहवर्ती उपकरणों को निष्प्रयोज्य घोषित किये जाने व उनकी नीलामी हेतु की गयी संस्तुति के अनुक्रम मे संलग्न सूची में वर्णित (एच0सी0एल0 सी0पी0यू0 मानीटर सहित–26 अदद, थिन क्लाइन्स मानीटर सहित–46 अदद, एच0पी0लेजर प्रिन्टर 1008–25 अदद, टी0वी0एस0 डाट मैट्रिक्स प्रिन्टर–16 अदद, कार्टिज 88 ए–179 अदद, विन बी थिन क्लाइन्स बिना मानीटर–8 अदद, सी0पी0यू0 बिना मानीटर–03 अदद) उपकरणों की नीलामी हेतु समिति द्वारा न्यूनतम मूल्य 128580/–(मु0 एक लाख अट्ठाइस हजार पांच सौ अस्सी रूपये मात्र) निर्धारित किया गया है,।

जिसके अनुक्रम में उक्त मूल्य की अथवा इससे अधिक मूल्य की खुली निविदाएं एवं बोली आमंत्रित की जाती है। इच्छुक निविदा दाता मु0 12,800/–(मु0 बारह हजार आठ सौ रूपये मात्र) रूपये की प्रतिभू के साथ अपनी खुली निविदा कम्प्यूटर अनुभाग, जनपद न्यायालय, बांदा में **दिनांक 05.12.2020 को समय अपरान्ह 12.00** तक जमा करा सकते हैं तथा उसी दिन समय 1.30 बजे समिति के समक्ष सभी निविदाकर्ता अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रहकर खुली निविदाएं एवं बोली में प्रतिभाग कर सकते हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उच्चतम निविदाकर्ता अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा नीलामी धनराशि का 25 प्रतिशत धनराशि उसकी बोली स्वीकार होने पर उसी दिन जमा करनी होगी एवं शेष 75 प्रतिशत धनराशि 15 दिवस के अन्दर जमा करनी होगी। यदि नियत राशि जमा नही करवाई जाती है तो पूर्व में जमा करवाई गयी सम्पूर्ण राशि राज्य के पक्ष में समाहित कर ली जायेगी तथा निविदाकर्ता/बोली कर्ता के समस्त अधिकार समाप्त समझे जायेगें।

कम्प्यूटर उपकरणों व उसके सहवर्ती उपकरणो का अवलोकन दिनांक **27.11.2020 एवं 28.11.2020** को कार्यालय समय (प्रातः 10 बजे से 5 बजे तक) पर कर सकते है। नीलामी की सूचना जनपद न्यायालय बांदा की वेबसाइट (https://districts.ecourts.gov.in/banda) तथा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की वेबसाइट (https://www.allahbadhighcourt.in) पर देखी जा सकती है।

सूचना सूचनापटल में चस्पा की जाये एवं परिचालित की जाये।

संलग्नकः यथोक्त

(अध्यक्ष)
निस्तारण समिति /
अपर जिला जज
बॉदा।

जिला एवं सत्र न्यायालय, बांदा।

दिनांक 10.11.2020

जनपद न्यायालय बांदा की निस्तारण समिति द्वारा शासनादेश सं0 1393/78–2–2011–26 आई0टी0/ 2004 दिनांक 20.09.2011 के अनुसार 6 वर्ष से अधिक पुराने कम्प्यूटर हार्डवेयर व उनके सहवर्ती उपकरणों को निष्प्रयोज्य घोषित किये जाने व उनकी नीलामी हेतु की गयी संस्तुति के अनुकम मे संलग्न निम्नवत है –

कम संख्या	निष्प्रयोज्य कम्प्यूटर सामग्री	निष्प्रयोज्य कम्प्यूटर सामग्री की संख्या
1	एच0सी0एल0 सी0पी0यू0 मानीटर सहित	26 अदद
2	एच0पी0लेजर प्रिन्टर 1008,	25 अदद,
3	थिन क्लाइन्स मानीटर सहित,	46 अदद,
4	टी0वी0एस0 डाट मैट्रिक्स प्रिन्टर,	16 अदद,
5	कार्टिज 88 ए,	179 अदद,
6	विन बी थिन क्लाइन्स बिना मानीटर,	08 अदद
7	सी0पी0यू0 बिना मानीटर,	03 अदद,

(अध्यक्ष)
निस्तारण समिति /
अपर जिला जज
बॉदा।